भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**

No: 2011/RS(G)/779/16 **New Delhi, dated :२१.6.2017**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela

Sub: Policy regarding centralized procurement of imported spares and other critical items of LHB coaches.

Ref: (i) Board's circular No. 2011/RS(G)/779/16 dt. 10.01.2014
(ii) Board's circular No. 2011/RS(G)/779/16 dt. 9.07.2015
(iii) Board's circular No. 2011/RS(G)/779/16 dt. 31.05.2016
(iv) Board's circular No. 2011/RS(G)/779/16 dt.08.09.2016

Vide Railway Board's letters referred above, instructions have been issued about centralized procurement of LHB spares by RCF.

In the wake of recent decision taken by Railway Board regarding manufacturing of only LHB coaches from 2018-19 onwards, the population of LHB coaches is slated to increase manifold in the future. The manufacturing of ICF design coaches are being discontinued from year 2018-19 onwards.

In the light of above, the existing policy of centralized procurement of spares by RCF/ICF has been reviewed and accordingly, it has now been decided that in supersession to earlier instructions referred above, all Zonal Railways are authorized to procure their own requirement of LHB spares, irrespective of their coach holdings. However, where Zonal Railway is finding difficulty in procurement due to small quantity or some other constraint, they may place Indents on RCF/ICF well in advance for getting their requirement covered in time.

The Indents already placed on RCF/ICF for consumption cycle of 2017-18 by Zonal Railways will continue to be covered by RCF/ICF.

This has been issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I,
Railway Board

No: 2011/RS(G)/779/16 **New Delhi, dated :२१.6.2017**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No: 2011/RS(G)/779/16 **New Delhi, dated :29.6.2017**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela.
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi
4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I,
Railway Board

No: 2011/RS(G)/779/16 **New Delhi, dated :29.6.2017**

Copy to:

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I
Railway Board

Copy to: Sr. PPSs / PPS / PS to:

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel),DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.: 2011/आरएस(जी)/779/16 नई दिल्ली, दिनांक: 29.6.2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला

विषय: एलएचबी डब्बों के आयातित कलपुर्ज़ों और अन्य महत्वपूर्ण मदों की केंद्रीकृत खरीद से संबंधित नीति।

संदर्भ: (i) बोर्ड का दिनांक 10.01.2014 का परिपत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/16
(ii) बोर्ड का दिनांक 09.07.2015 का परिपत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/16
(iii) बोर्ड का दिनांक 31.05.2016 का परिपत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/16
(iv) बोर्ड का दिनांक 08.09.2016 का परिपत्र सं. 2011/आरएस(जी)/779/16

ऊपर उल्लिखित रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्रों के तहत आरसीएफ द्वारा एलएचबी कलपुर्ज़ों की केंद्रीकृत खरीद के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

2018-19 से आगे केवल एलएचबी डब्बों के विनिर्माण के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के मद्देनज़र, भविष्य में एलएचबी डब्बों की संख्या कई गुना बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2018-19 से आगे आईसीएफ डिज़ाइन के डिब्बों का विनिर्माण बंद किया जा रहा है।

उपर्युक्त के संदर्भ में, आरसीएफ/आईसीएफ द्वारा कलपुर्ज़ों की केंद्रीकृत खरीद की वर्तमान नीति की समीक्षा की गई है और तदनुसार, अब यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर उल्लिखित पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में, सभी क्षेत्रीय रेलों को उनकी कोच होल्डिंग्स के बावजूद एलएचबी कलपुर्ज़ों की अपनी आवश्यकता की खरीद के लिए प्राधिकृत किया जाता है। बहरहाल, जहां क्षेत्रीय रेलें छोटी मात्रा या कुछ अन्य बाधाओं के कारण खरीद करने में परेशानी उठा रही हैं, वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अग्रिम में आरसीएफ/आईसीएफ में अपना मांगपत्र भेज सकते है, ताकि समय पर उनकी आवश्यकता को कवर किया जा सके।

2017-18 की खपत चक्र के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा आरसीएफ/आईसीएफ को पहले ही दिये गए मांगपत्र आरसीएफ/आईसीएफ द्वारा ही कवर किए जाते रहेंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेल भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड

PROCUREMENT

सं. 2011/आरएस(जी)/779/16 नई दिल्ली, दिनांक: 29.6.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं. 2011/आरएस(जी)/779/16 नई दिल्ली, दिनांक: 31.05.2016

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
   क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
   ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
   ड.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरुग्राम
5. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
6. कार्यपालक निदेशक (भण्डार), आरडीएसओ, लखनऊ
7. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ
8. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2011/आरएस(जी)/779/16 नई दिल्ली, दिनांक: 29.6.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 248 एवं एनएफआईआर कमरा सं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, फ्रोआ, कमरा सं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.)।

रेलवे बोर्ड